

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2014/भाद्र 24, 1936

No. 473] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2014/BHADRA 24, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 645(अ). – केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की कारपोरेट कार्य मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि 1693(अ) तारीख 3 अक्तूबर, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक (2) और उससे संबंधित प्रविष्टी के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टी रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(2) श्री नरेन्द्र कुमार भोला,

—सदस्य"

प्रादेशिक निदेशक (एनईआर) एवं प्रादेशिक निदेशक (ईआर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कोलकाता-70020

3. अधिसूचना उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 2/23/2006-आईजीसी/पीआई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि 1693(अ) तारीख 3 अक्तूबर, 2007 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात सं. सा.का.नि 69(अ) तारीख 6 फरवरी, 2012 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2014

G.S.R. 645(E).—In exercise of the powers conferred by Section 29A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1693(E), dated the 3rd October, 2007, namely:—

2. In the said notification, for serial number (2) and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

"(2) Shri Narender Kumar Bhola,

- Member"

Regional Director (NER) & RD(ER),

Ministry of Corporate Affairs,

Kolkata-700 020.

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/23/2006-IGC/PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1693(E), dated the 3rd October, 2007 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 69(E), dated 6th February, 2012.